फोन न0 0612–2219545 (का0)
फैक्स न0–0612–2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

# समाहरणालय, पटना।
## (शस्त्र शाखा)

## –: आदेश :–

30-01-2014

**श्री मधुमेश चौधरी,** पिता–श्री तारकेश्वर प्रसाद चौधरी, पता–''आवरण'', चौधरी मार्केट, बी0एन0 कॉलेज के सामने, थाना–पीरबहोर, जिला–पटना द्वारा एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2006 में समर्पित किया गया, जिसे तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी के न्यायालय के द्वारा अस्वीकृत किया गया और आवेदक को ज्ञापांक–284/श0, दि0–12.01.2007 से सूचना भेजी गई। उक्त अस्वीकृति आदेश के विरूद्ध आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना के न्यायालय में अपील दायर किया गया, जिसमें दि0–21.12.2010 को आदेश पारित किया गया। आयुक्त न्यायालय के आदेश के आलोक में आवेदक द्वारा पुनः समर्पित शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पर दिनांक–26.03.2013 को सुनवाई के उपरांत जिला न्यायालय दण्डाधिकारी द्वारा पुनः उक्त शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन को अस्वीकृत किया गया, जिसकी सूचना आवेदक को ज्ञापांक–1558/श0, दि0–15.04.2013 द्वारा भेजी गयी। आवेदक द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में C.W.J.C. No.- 11838/2013 मधुमेश चौधरी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर किया गया, जिसमें दिनांक–27.06.2013 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा उक्त मामले में आदेश पारित करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से उक्त मामले में नये सिरे से प्रतिवेदन प्राप्त कर आवेदक को सुनवाई को मौका देते हुए पुनर्विचार हेतु निदेश दिया गया। तदोपरान्त आवेदक से प्राप्त आवेदन पर विविध शस्त्र वाद सं0–09–294/2006 में वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से नये सिरे से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर दिनांक–30.01.2014 को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई।

निर्धारित तिथि को आवेदक का पक्ष सुना गया एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया गया। सुनवाई के क्रम में आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे कपड़े के बड़े व्यवसायी हैं। उनका ''आवरण'' नामक एक दूकान बी0एन0 कॉलेज, पटना के सामने स्थित है। उनकी वार्षिक आय 50 लाख रूपया है। उनके द्वारा पूर्व में उनसे रंगदारी मांगे जाने की घटना घटित होने की बात भी बतायी गई। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक–96/गो0, दिनांक–07.01.2014 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को जाँचोपरान्त अग्रसारित किया गया है। थानाध्यक्ष, पीरबहोर द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक द्वारा दिनांक–11.10.2007 को आवेदन दिया गया, जिसके आलोक में पीरबहोर थाना कांड सं0–11.10.2007, धारा 387

भा0द0वि0 अमर कुमार एवं अन्य के विरूद्ध कायम किया गया। जाँचोपरान्त उक्त कांड में साक्ष्य की कमी समर्पित किया गया है। जाँच के क्रम में यह प्रकाश में आया है कि आवेदक व्यवसायी हैं तथा इनकी वार्षिक आय 50 लाख रूपया है। बड़ा व्यवसायी होने के कारण जान–माल की सुरक्षा हेतु थानाध्यक्ष द्वारा रिवाल्वर/पिस्टल की अनुशंसा की गई है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि आवेदक को अपने जान–माल की सुरक्षा के बिन्दु पर भय/खतरा है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन एवं आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक श्री मधुमेश चौधरी, पिता–श्री तारकेश्वर प्रसाद चौधरी, पता–''आवरण'', चौधरी मार्केट, बी0एन0 कॉलेज के सामने, थाना–पीरबहोर, जिला–पटना को उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु **स्वीकृति** प्रदान की जाती है।

श्री चौधरी को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट साईज़ का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त कर लेंगें।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।